

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना—2012 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत हेतु प्रार्थना—पत्र)

1.	औद्योगिक इकाई/कम्पनी का नाम	
2.	कार्यालय/इकाई/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता :— (दूरभाष/फैक्स संख्या तथा ई—मेल पते सहित)	
3.	कार्यालय/इकाई/कम्पनी के कार्य स्थल का पता :— (दूरभाष/फैक्स संख्या तथा ई—मेल पते सहित)	
4.	इकाई का प्रारूप (कम्पनी/साझेदारी) (रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड का विवरण/स्वामित्व के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण, कम्पनी का समागम प्रमाण — पत्र, उत्पादन प्रारम्भ करने एवं प्रथम बिक्री की तिथि का विवरण तथा प्रपत्र कम्पनी के संगम ज्ञापनलेख (मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) की प्रमाण — पत्र की सत्य प्रतिलिपि	
5.	इकाई/कम्पनी द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तु का नाम :—	
6.	इकाई/कम्पनी के स्वामी/साझीदार/निदेशकों का पूर्ण बायोडाटा (नाम, पिता का नाम, निवास स्थान (स्थाई/वर्तमान, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) टेलीफोन/मोबाईल नं., ई—मेल, शैक्षिक योग्यता, कार्य का अनुभव तथा पूँजी निवेश का विवरण), व्यक्तिगत सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण तथा दायित्वों का विवरण (सी0ए0 द्वारा सत्यापित)	
7.	इकाई का संक्षिप्त इतिहास तथा विवरण :— (पूँजी निवेश, कच्चे माल की उपलब्धता तथा आधरभूत मूल सुविधायें जैसे पावर लोड कनेक्शन, डी0जी0 सेट इत्यादि)	
8.	इकाई की क्षमता का विवरण :— (लाइसेन्स/निर्धारित/उपयुक्त साक्ष्य सहित)	

9.	इकाई/कम्पनी को सुचारू रूप से चलाने हेतु तकनीकी प्रबन्धन का विवरण :—	
10.	इकाई/कम्पनी की भूमि, भवन एवं यन्त्र – संयन्त्र का विवरण तथा उनमें किये गये पूँजी निवेश का विवरण (सी0ए0 द्वारा प्रमाणित)	
11.	उद्योग में उपयोग किये जाने वाले ईधन की उपलब्धता का विवरण :—	
12.	इफीलूयेन्ट (कचरा) निस्तारण एवं किये गये प्रबन्ध का विवरण :—	
13.	<p>योजना की पूर्ण लागत/विस्तारीकरण के लिये किये गये पूँजी निवेश का विवरण :— (सी0ए0 द्वारा प्रमाणित निवेश)</p> <p>अ— भूमि एवं साइट का विकास ब— भवन स— <u>यन्त्र एवं संयन्त्र :</u> <u>देशी</u> <u>विदेशी</u> अन्य</p> <p>कुल योग : (इकाई के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में इकाई द्वारा इन्क्रीमेन्टल टर्न ओवर की प्रथम तिथि 04.09.2012 या उसके बाद का विवरण, साक्ष्य सहित)</p>	रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0
14.	<p>योजना लागत हेतु वित्तीय संसाधनों का विवरण :— (वित्तीय संस्था एवं स्वयं द्वारा लगायी जाने वाली धनराशि का अलग – अलग विवरण)</p> <p>अ— बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त ऋण ब— स्वयं द्वारा लगाई गयी पूँजी स— अन्य संसाधनों द्वारा</p> <p>कुल योग :</p>	रु0 रु0 रु0 रु0
15.	<p>योजनात्तर्गत ऋण स्वीकृत दी जाने वाली सिक्योरिटी (प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार) का विवरण तथा बाजार मूल्य (सरकारी मान्यता प्राप्त वैलुअर से प्रमाणित) :—</p> <p>अ— भूमि ब— भवन स— यन्त्र एवं संयन्त्र : द— अन्य</p> <p>कुल योग :</p>	रु0 रु0 रु0 रु0 रु0

16.	इकाई को प्रथम प्रभार हेतु ऋण प्रतिभूति अनुपात 1 : 1.25 तथा द्वितीय प्रभार हेतु 1 : 1.50 ऋण प्रतिभूति अनुपात के अनुसार प्रतिभूति उपलब्ध करानी पड़ेगी। प्रतिभूति की कमी को कोलेटरल सिक्योरिटी (भूमि तथा भवन) से पूर्ण किया जा सकता है तथा पब्लिक सेक्टर बैंक से ऋण धनराशि के समतुल्य बैंक गारण्टी द्वारा पूर्ण किया जा सकता है।	
17.	कार्यशील पूँजी हेतु वित्तीय संसाधनों का विवरण :- (बैंक/वित्तीय संस्था/स्वयं द्वारा लगायी जाने वाली पूँजी का अलग - अलग विवरण)	
18.	योजनान्तर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश के माध्यम से दिनांक 04.09.2012 या उसके पश्चात निर्मित माल की बिक्री का प्रथम तिथि का विवरण (साक्ष्य सहित) :-	
19.	दिनांक 04.09.2012 अथवा उसके पश्चात निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि के वित्तीय वर्ष में वार्षिक धन पर उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर का विवरण (व्यापार कर विभाग द्वारा प्रमाणित) :-	
20.	ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के पश्चात ऋण भुगतान की अन्तिम तिथि के अगले 05 वर्ष तक इकाई को कार्यरत रखने हेतु एम0ओ0य० (संकल्प ज्ञापन लेख) की प्रति (निगम के विधि विभाग द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार) :-	
21.	गत वर्षों का आडिटेड वार्षिक लेखा (समस्त शेड्यूल सहित) :-	
22.	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/वित्तीय संस्था के देयों का भुगतान में वित्तिथि (डिफाल्टर) न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/संस्था/सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतियाँ :-	
23.	उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत हेतु इकाई/कम्पनी के सम्बन्ध में अन्य विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा निगम के अधिकारियों द्वारा इकाई/कम्पनी के स्थल का भौतिक	

निरीक्षण करने तथा तथ्यों का सत्यापन करने हेतु इकाई/कम्पनी द्वारा अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सहमत पत्र की प्रति :—

(निगम के विधि विभाग द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशानुसार आवश्यक रूप से संलग्न की जाये)

उपरोक्त सूचना औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अन्तर्गत रु0

(रूपये

) मात्र का ब्याज

सहित ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे/हमारे संज्ञान के अनुसार पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी तथ्य को मेरे/हमारे द्वारा न ही छिपाया गया है और न ही उसमें किसी प्रकार का फेर बदल किया गया है।

दिनांक :—

इकाई/कम्पनी के स्वामी/साझीदार/निदेशकों के नाम एवं पद सहित हस्ताक्षर :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5._